# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 25/2021 जिला सीकर ।

1. डॉ0 शिवपाल सिंह खीचड
2. भागाराम
3. भगवानाराम
4. भोमाराम
5. चन्द्राराम
6. रतन लाल
7. गिरधारी लाल
   पुत्रान स्व0 श्री कानाराम जाति जाट निवासी ग्राम दोलपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
8. श्रीमती प्रभाती देवी पुत्री स्व0 श्री कानाराम धर्मपत्नी श्री गोपाल लाल जाति जाट निवासी कूडी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर ।

रेस्पोर्डेंट

2. टिकम सिंह पुत्र स्व0 श्री भंवर सिंह
3. मोहन कंवर धर्मपत्नी स्व0 श्री भंवर सिंह
4. हेमसिंह पुत्र स्व0 श्री भंवर सिंह
5. रामेश्वर पुत्र स्व0 श्री सुरजाराम
6. श्रवण कुमार पुत्र सुरजाराम
7. रूघाराम पुत्र सुरजाराम
8. नानूराम पुत्र सुरजाराम
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम दोलतपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट्

**अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर दिनांक 24.10.2019 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75**

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री रघुवीर सिंह राठौड।
2. रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता।
3. वकील रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से श्री राजाराम चौधरी।

## निर्णय

दिनांक–28.07.2021

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर के निर्णय दिनांक 24.10.2019 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 12.07.2021 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा ग्राम दोलपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 204 रकबा 0.74 है0, खसरा नम्बर 201 रकबा 0.58 है0, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 199 रकबा 1.30 है0, खसरा नम्बर 192 रकबा 1.36 है0 एवं खसरा नम्बर 193 रकबा 0.17 है0 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने "राजस्थान भू राजस्व अधिनियमउ की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानो के अनुसार ग्राम दोलपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 204 रकबा 0.74 है0, खसरा नम्बर 201 रकबा 0.58 है0, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 199 रकबा 1.30 है0, खसरा नम्बर 192 रकबा 1.36 है0 एवं

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 193 रकबा 0.17 है0 में से प्रस्तावित रकबे की भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये।

3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 24.10.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर के निर्णय दिनांक 24.10.2019 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट् की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांटस उपस्थिति। कवील रेस्पोडेंट संख्या 4 एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रजस्व ग्राम दोलपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर स्थित कृषि भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 कुल किता 7 रकबा 3.22 है0 के खातेदार काश्तकार अपीलार्थीगण की माता स्व0 श्रीमति केसरी देवी पत्नि स्व0 श्री कानाराम के नाम राजस्व भू–अभिलेखो में दर्ज थी। जिस पर अपीलार्थीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रारूपिक रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 4 के नाम भूमि खसरा नम्बर 187, 192 कुल किता 2 रकबा 1.43 है0 भूमि राजस्व भू अभिलेख में दर्ज थी। अपीलार्थी की कब्जे काश्त की भूमि एवं प्रारूपिक रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 4 की भूमि पर पूर्व में कोई भी रास्ता विधमान नही है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 ने जो आवेदन पत्र दिनांक 19.9.2019 को प्रस्तुत किया है उसमें बिना कोई जांच/कार्यवाही किये ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। तहसीलदार दांतारामगढ ने अपने कार्यालय में ही बैठकर उक्त प्रकरण में फर्द रिपोर्ट दिनांक 10.9.2019 एवं दिनांक 19.9.2019 की रिपोर्ट प्रेषित की है। तहसीलदार दांतारामगढ ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ के समक्ष किस काश्तकार ने प्रार्थना पत्र वास्ते रास्ता दर्ज करवाने प्रस्तुत किया हो ऐसा कोई प्रार्थना पत्र किसी भी कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ द्वारा जारी नोटिस अपीलार्थीगण या उनकी माता स्व0 श्रीमती केसरी देवी को प्राप्त ही नही हुये। अधिनस्थ न्यायालय ने जो नोटिस जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये है उसमें ऐसा कोई आदेश ही पारित नही किया गया है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.10.2019 निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.10.2019 का है लेकिन अपीलांट्स को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 15.06.2021 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम दोलपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 204 रकबा 0.74 है0, खसरा नम्बर 201 रकबा 0.58 है0, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 199 रकबा 1.30 है0, खसरा नम्बर 192 रकबा 1.36 है0 एवं खसरा नम्बर 193 रकबा 0.17 है0 के खातेदारो की भूमियों में से होकर प्रचलित रास्ता जाने के कारण नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव तहसीलदार दांतारामगढ ने रिपोर्ट पटवारी हल्का रामगढ, नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी की प्रति संलग्न कर उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर को प्रेषित की थी जिस पर उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.10.2019 पारित कर विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रचलित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार एवं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

Scanned by CamScanner

किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार ग्राम दोलपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा खसरा नम्बर 204 रकबा 0.74 है0, खसरा नम्बर 201 रकबा 0.58 है0, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 199 रकबा 1.30 है0, खसरा नम्बर 192 रकबा 1.36 है0 एवं खसरा नम्बर 193 रकबा 0.17 है0 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर ने उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.10.2019 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलान्टस् प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.10.2019 से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं। वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रभावित पक्षकारो को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस् को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.10.2019 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात से प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।
9. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner